राजस्थान सरकार

# कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

**Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in**

क्रमांक / एफ( ) / तक. / संवर्ग / 2022-23 / 34) दिनांक 11/01/2023

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषयः—Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण के सम्बन्ध में।
(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंगः—अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 8296 दिनांक 22.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति युजर एजेन्सी सा.नि.वि. खण्ड प्रथम प्रतापगढ़ के पत्रांक 667 दिनांक 16.12.2022 से हार्ड कॉपी तथा Online प्रकरण दिनांक 09.01.2023 से पूर्ति कर बिन्दुवार रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है—

| क्र. सं. | आक्षेप | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्ताव में संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तावित रोड रक्षित वनखण्ड (चेनेज संख्या 30) में से होकर गुजर रहा है। उक्त वन क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है। कारण स्पष्ट करें। | जीटी शीट पर मार्क चैनेज संख्या 30 पर जो रक्षित वन खण्ड दिखाई दे रहा है वह अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है तथा जीटी शीट पर ग्रीन वॉश किया गया है। उक्त भूमि वास्तविक रूप से गैर वन भूमि है। |
| 2. | पार्ट–I के बिन्दु संख्या ई में रोजगार के सृजन की सूचना सही नहीं है। | युजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि पार्ट–I के बिन्दु ई के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में नियमित कर्मचारी नहीं लग सकते है तथा सड़क के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक के ही मजदुर/कर्मचारी कार्य करेगें जिसकी अनुमानित श्रमिक संख्या 20 होगी। |
| 3. | पार्ट–I के बिन्दु संख्या L में प्राप्त गैर वन भूमि किस ग्राम में प्राप्त हुई है। अंकित नहीं है। | जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के द्वारा राजस्व गाँव आगलीखोरा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। पार्ट–I के बिन्दु संख्या 2 में पूर्ति कर दी गई है। |
| 4. | पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वन भूमि मृदा एवंज ल संरक्षण कार्य वृत में आति है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में मध्यम प्रवृति का अपरदन भूमि की संभावना है। इस हेतु मृदा अपरदन को रोके जाने की कोई उपचार योजना संलग्न नहीं की गई है। | युजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित सड़क मार्ग में मृदा के अपरदन को रोकने हेतु सड़क के आर ओ डब्ल्यु के अन्दर ड्रेनेज (नाली) का निर्माण किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार वृक्षों का रोपण भी किया जावेगा। |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 5. | उपवन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि अंकित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त वन खण्ड का उल्लेख अंकित नहीं है एवं अतिरिक्त सूचनाओं में वन खण्ड के राज्य पत्र की प्राप्ति संलग्न नहीं की गई है। | प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि के अन्तर्गत आती है। प्रत्यावर्तित वन भूमि वनखण्ड मल्हाडा,चिकलाड के अधिन आती है। जिसके राजपत्र में अधिसूचित करने की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। |
| 6. | प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है। | युजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित सडक के आर. ओ. डब्ल्यु. के अन्तर्गत डामरीकृत किये जाने वाले भाग पर कोई भी वृक्ष विधमान नही है। तथा जो वृक्ष विधमान है वो भी प्रस्तावित सडक के सोल्डर के अन्तिम छोर पर स्थित है। उक्त कारण से प्रस्तावित सडक के कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन किया जाना प्रस्तावित नही है।भविष्य में उक्त पेडो की छंगाई हमारे द्वारा कराई जावेगी।उक्त सडक आर.ओ.डब्ल्यु. में 179 वृक्ष विधमान है। जिसकी सूची संलग्न है। |
| 7. | उपवन संरक्षक द्वारा संलग्न किये गये स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र में 1000 से कम पौधे रक्षित नहीं होने का उल्लेख नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मार्ग दर्शिका अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाये जाने प्रस्तावित है। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई गैर वन भूमि तथा परिभ्रांषित वन भूमि का संक्षिप्त विवरण संलग्न प्रेषित है। |
| 8. | प्रस्ताव गैर वनभूमि के आस पास कोई वन क्षेत्र होना नहीं दर्शाया गया है। उपवन संरक्षक द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि का प्रबन्धन किया जावेगा। | प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि के पास पूर्व में भी 17.67 है0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया गया है। उक्त 17.67 है0 के समीप एक अन्य प्रकरण में 16 है0 गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल 37.138 है0 गैर वन भूमि स्थित है। उक्त क्षेत्र में वनस्पति/पेड–पौधो का घनत्व अधिक है। उक्त क्षेत्र में 200 पौधों का रोपण ही किया जाएगा। वन प्रबन्ध हेतु युजर ऐजेन्सी से 13 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त की जावेगी। |

(सुनील कुमार भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़ (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

3622
13/12/22

# कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड प्रथम प्रतापगढ़

क्रमांकः 2022-23 / 667 दिनांकः- 15/12/2022

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

विषयः-Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के सम्बन्ध में।
(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

FCA
16/12/2022

प्रसंगः-अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 7173 दिनांक 25.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पुर्ति बिन्दुवार निम्नानुसार है।

| क्र. सं. | आक्षेप | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्ताव में संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तावित रोड़ रक्षित वनखण्ड (चेनेज संख्या 30) में से होकर गुजर रहा है। उक्त वन क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है। कारण स्पष्ट करें। | जीटी शीट पर मार्क चैनेज संख्या 30 पर जो रक्षित वन खण्ड दिखाई दे रहा है वह अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है तथा जीटी शीट पर ग्रीन वॉच किया गया है। उक्त भूमि वास्तविक रूप से गैर वन भूमि है। |
| 2. | पार्ट-I के बिन्दु संख्या ई में रोजगार के सृजन की सूचना सही नहीं है। | पार्ट-I के बिन्दु ई के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में नियमित कर्मचारी नहीं लग सकते है तथा सड़क के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक के ही मजदुर/कर्मचारी कार्य करेगें जिसकी अनुमानित श्रमिक संख्या 20 होगी। |
| 3. | पार्ट-I के बिन्दु संख्या L में प्राप्त गैर वन भूमि किस ग्राम में प्राप्त हुई है। अंकित नहीं है। | जिला कलक्टर प्रतापगढ के द्वारा राजस्व गॉव आमलीखोरा में क्षति पूरक वृक्षा रोपण हेतु गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। पार्ट वन के बिन्दु संख्या 2 में पूर्ति कर दी गई है। |
| 4. | पार्ट-II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वन भूमि | प्रस्तावित सड़क मार्ग में मृदा के अपरदन को रोकने हेतु |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | मृदा एवंज ल संरक्षण कार्य वृत में आति है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में मध्यम प्रवृति का अपरदन भूमि की संभावना है। इस हेतु मृदा अपरदन को रोके जाने की कोई उपचार योजना संलग्न नहीं की गई है। | सड़क के आर ओ डब्ल्यु के अन्दर ड्रेनेज (नाली) का निर्माण किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार वृक्षो का रोपण भी किया जावेगा। |
| 5. | उपवन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि अंकित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त वन खण्ड का उल्लेख अंकित नहीं है एवं अतिरिक्त सूचनाओं में वन खण्ड के राज्य पत्र की प्राप्ति संलग्न नहीं की गई है। | उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है। |
| 6. | प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है। | प्रस्तावित सड़क मे हमारे द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। अगर कोई वृक्ष हमारी सड़क सीमा (पटरी पर) में आ रहा होगा तो हमारे द्वारा उस पेड़ पर रिफ्लेक्टर लगवा दिया जावेगा। जिससे सड़क दुर्घटना नहीं हो। |
| 7. | उपवन संरक्षक द्वारा संलग्न किये गये स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र में 1000 से कम पौधे रक्षित नहीं होने का उल्लेख नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मार्ग दर्शिका अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाये जाने प्रस्तावित है। | उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है। |
| 8. | प्रस्ताव गैर वनभूमि के आस पास कोई वन क्षेत्र होना नहीं दर्शाया गया है। उपवन संरक्षक द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि का प्रबन्धन किया जावेगा। | उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है। |

(अशोक कुमार खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड I प्रतापगढ़

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड प्रथम प्रतापगढ़

क्रमांकः 2022–23/751 दिनांकः–10/01/2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़ राजस्थान।

विषयः–Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के सम्बन्ध में।
(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंगः–अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 7173 दिनांक 25.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 6 के संबंध में पुनः आप द्वारा स्पष्ट सुचना चाही गई है। जिसका प्रत्युत्तर निम्नानुसार है–

| क्र. सं. | आक्षेप | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है। | प्रस्तावित सडक के आर. ओ. डब्ल्यु. के अन्तर्गत डामरीकृत किये जाने वाले भाग पर कोई भी वृक्ष विधमान नही है। तथा जो वृक्ष विधमान है वो भी प्रस्तावित सडक के सोल्डर के अन्तिम छोर पर स्थित है। उक्त कारण से प्रस्तावित सडक के कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन किया जाना प्रस्तावित नही है।भविष्य में उक्त पेडो की छंगाई हमारे द्वारा कराई जावेगी। ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना नही हो पाये। |

(अशोक कुमार खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड I प्रतापगढ़

FCP

G:\LETTER 12.12.2022.DOCX

Scanned with OKEN Scanner